

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,

निदेशक,

सेवा में,

प्राचार्य,

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय

पटना, दिनांक :

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्यशीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-112-इंजिनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड 43-2203001120001) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में CFMS के द्वारा निर्गत आवंटन Order No.-694 & 696, Dated 28.05.2018 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते तथा विशेष सेवाएं विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से दिनांक 31 मार्च 2019 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय को कुल रू. 79,51,000=00 (उनासी लाख इक्यावन हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

विषयशीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2
01 01 वेतन	2693000
01 03 जीवन यापन भत्ता	4121000
01 04 मकान किराया भत्ता	100000
01 05 परिवहन भत्ता	35000
01 06 चिकित्सा भत्ता	2000
योग:-वेतन	6951000
28 02 संविदा सेवाएं	1000000
योग:-गैर वेतन	1000000
कुल योग	7951000

(क)

(क) उनासी लाख इक्यावन हजार रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-354, दिनांक 28.03.2018 एवं पत्रांक-6903, दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

4. उक्त आवंटित राशि से नियमित वेतन एवं भत्ते के भुगतान के उपरान्त राशि शेष रहने पर अन्य बकाये वेतन एवं भत्ते का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

5. यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र सकारण प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

6. विभिन्न विषय शीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित

विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

7. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि. दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

8. व्यय विवरणी टी.भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

9. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अतुल सिन्हा)

निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब³-12/2016-

/पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब³-12/2016-

/पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब³-12/2016-

75/2016

/पटना, दिनांक : 10-10-018

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो.)/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A
05.10.18
निदेशक

2/4
09/10/18

2018/09/09